मिहिर भोज पी०जी० कॉलिज

दादरी-ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) उ०प्र०

सम्बद्धः चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्रः 2022-23

विवरणिका एवं प्रवेश नियमावली

सम्पर्क :

Website : mihirbhojpgcollege.edu.in

E-mail : mbpgcollegedadri@gmail.com

हरित परिसर-स्वच्छ परिसर- प्लास्टिक कचरा मुक्त परिसर

सन्देश

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी

सदस्य, विधान परिषद

एवम् पूर्व कैबिनेट मन्त्री, उत्तर प्रदेश

मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि सत्र 2022-23 के लिए विवरणिका एवं प्रवेश नियमावली प्रकाशित होने जा रही है। यह विवरणिका छात्र / छात्राओं के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी और उन्हें संस्था की मूलभूत कार्य प्रणाली, नियमों एवम् विशेषताओं से अवगत करायेगी। सुनहरे इतिहास को प्रतिबिम्बित करते हुए, इस महाविद्यालय ने विद्यार्थियों को सदैव समाज के प्रति समर्पण भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

कई दशकों से महाविद्यालय की निरन्तर प्रगति के गवाह के रूप में मैं प्रवेश के इच्छुक छात्र / छात्राओं और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ कि महाविद्यालय युवा शक्ति को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास एवम् चरित्र निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मुझे आशा है कि नव-सत्र में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी इस महाविद्यालय की गौरवमयी यात्रा में अपना भरपूर योगदान देंगे और अपने भविष्य निर्माण के लिए कठोर परिश्रम करेंगे।

अंत में मैं महाविद्यालय परिवार को नव- सत्र के आगमन पर शुभाशीष देता हूँ।

जय हिन्द !

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी

सन्देश

श्री तेजपाल सिंह नागर

विधायक, दादरी (उ०प्र०)

नव – सत्र के आगमन पर महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विवरणिका एवम् प्रवेश नियमावली का प्रकाशन एक सराहनीय कदम है। इस प्रकाशन के माध्यम से छात्र/छात्राएं एवम् अभिभावक महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों व सुविधाओं से सहज ही अवगत हो पायेंगे। अद्भुत गौरवमयी विरासत को समेटे हुए मिहिर भोज पी.जी. कॉलेज अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है।

महाविद्यालय के सतत् विकास में इस क्षेत्र के समाजसेवियों, शिक्षाविदों एवम् उदार दानवीरों ने अहम भूमिका निभायी है। अतः इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र होने के नाते मैं इस महाविद्यालय के निर्माण व विकास में 'मील का पत्थर' की भूमिका निभाने वाले समाज के संरक्षकों को नमन करता हूँ और वर्तमान में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, प्राचार्य, शिक्षकों एवम् छात्र / छात्राओं का अभिनन्दन करता हूँ एवं इस क्षेत्र के विकास में महाविद्यालय की भूमिका के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं महाविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

श्री तेजपाल सिंह नागर

सन्देश

श्री जयप्रकाश नागर

अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी महाविद्यालय प्रवेश नियमावली व विवरणिका का प्रकाशन कर रहा है। छः वर्षों से अधिक महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के प्रभार का निर्वाह करते हुए मैंने पाया कि गौरवमयी इतिहास को संजोये हुए महाविद्यालय विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास की संकल्पना के साथ निरन्तर अग्रसर है। महाविद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक कम्प्यूटर लैब, बेहतरीन पाठ्य-स्त्रोतों से युक्त पुस्तकालय एवम् प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवम् प्रत्यायन परिषद् के द्वारा पहले चक्र की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर चुका है एवम् आगामी वर्ष में महाविद्यालय परिवार पुर्नमूल्यांकन के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा के नये आयामों को प्राप्त करेगा। कोविड-19 की विभीषिका के बाद मैं इस विश्वास के साथ सम्पूर्ण महाविद्यालय परिवार का आह्वान करता हूँ कि युवा शक्ति के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार परक एवं मूल्य आधारित शिक्षा के उच्चतम मापदंड अपनायें और विद्यार्थियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन एक अत्यन्त सराहनीय कदम है।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय अपने गुणवत्तापरक एवम् समावेशी शिक्षा के ध्येय को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पण की भावना से आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मैं प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, प्राचार्य, शिक्षकों, सह-शैक्षणिक कर्मचारियों, पूर्व छात्र / छात्राओं एवम् वर्तमान में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों की उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना करता हूँ और संपूर्ण महाविद्यालय परिवार को नवसत्र के आगमन पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

श्री जयप्रकाश नागर

सन्देश

श्री वेदपाल सिंह

सचिव, प्रबन्ध समिति

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि महाविद्यालय प्रवेशार्थियों की सुविधा के लिए विवरणिका एवम् प्रवेश नियमावली का प्रकाशन कर रहा है। इस प्रकाशन के माध्यम से आगामी सत्र में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक कार्यक्रमों, आदर्श आचार संहिता व सांस्थानिक सुविधाओं जैसी अन्य जानकारियां सुलभता से उपलब्ध होंगी।

पाँच दशकों से अधिक समय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रसार एवम् प्रवाह करते हुए मिहिर भोज स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने अपनी पहचान एक अग्रणीय संस्थान के रूप में स्थापित की है। इस महाविद्यालय से अध्ययन करने के पश्चात् कुछ छात्र / छात्राओं ने उच्च प्रशासकीय, शिक्षण, व्यावसायिक एवम् राजनैतिक पदों पर सुशोभित होकर महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है।

हमारे पूर्व छात्र / छात्राओं की उपलब्धि का श्रेय महाविद्यालय के शिक्षकों एवम् सह-शैक्षणिक कर्मचारियों को जाता है। वर्तमान में यह महाविद्यालय गौतमबुद्धनगर जिले में स्थित एकमात्र राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है। योग्य शिक्षक बेहतरीन प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, क्रीडा स्थल, रमणीक एवं हरित वातावरण, अनुशासन एवम् कुशल प्रशासन इस महाविद्यालय की कुछ विशेष खूबियां हैं।

गत वर्ष में महाविद्यालय ने अनेकों गुणवत्तापरक पहल शुरू की है जिनमें से पुस्तकालय का सौन्दर्यीकरण, पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त करना, खेल मैदान की देखरेख, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन, कम्प्यूटर लैब का निर्माण एवम् छात्राओं के लिए वाचनालय प्रमुख हैं।

इसके अलावा सम्प्रेषण व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट पर सभी नवीनतम जानकारियां उपलब्ध होती है।

इस अवसर पर मैं महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों, शिक्षकों सह-शैक्षणिक कर्मचारियों व छात्र / छात्राओं को शुभाशीष देता हूँ और नवसत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का सहृदय स्वागत करता हूँ।

श्री वेदपाल सिंह

From the Desk of the Principal...

It is a widely held belief that education is instrumental for mental, spiritual and material growth of an individual, and with the emergence of the new world order characterised by technology-driven life style, consumerism and new set of challenges, education has acquired renewed significance. Though the generations of great educational thinkers and philosophers have defined, conceptualised and contextualised education from different perspectives, the ripple effects of socio-political and cultural changes influenced the priorities of education sector to a great extent.

In the present context, education seems to have metamorphosed into an altogether new entity signifying novel outlook and fresh priorities with unconventional intent and content. The ongoing debates on higher education focus on entrepreneurship, job-oriented skills, industry linked curriculum, vocational training, multidisciplinary education, ICT-driven innovative pedagogies, local perspectives to global issues, integrated approach to learning, artificial intelligence, disruptive technologies and sustainable values. However, excessive thrust on competitiveness and career building may make the learners oblivious about the vital issues such as character building, values, social commitment, rich Indian heritage and the great Indian Knowledge System. In such a situation, the higher education institutions are expected to develop a conducive ecosystem to nourish and groom the learners for their holistic development.

Therefore, I would urge upon my students to imbibe highest standards of professional ethics while remaining sensitive to the noble ideals of life, social responsibility and compassion. In addition to the academic engagement, students are expected to be sensitive to the environment, gender issues, constitutional values, socio-cultural diversity, vulnerable sections of society and traditional Indian ethos.

I believe that the active engagement and participation of students and alumni is pivotal for the desired growth of an institution, Therefore, the college has established number of students' clubs to promote student-centric activities. Besides, the registered Alumni Association of the college is making all out efforts to maintain a constant connect with the alumni for the desired support and guidance in the journey of the college.

Needless to mention that, with the generous support of the local society and dedicated efforts of the office-bearers and intellectuals, the college has emerged as a pioneering institution of higher learning in National Capital is Region. Now, it is the collective responsibility of all the stakeholders to enable and empower the institute for the desired incremental growth in key

areas so that it keeps serving the educational needs of the area with renewed vigour and rigour.

Last but not least, it is the prime duty of the teachers to keep the students engaged, informed and motivated for academic excellence and their holistic growth, and the role of administrative/non-teaching staff is always crucial for development of academic infrastructure and ambience required for quality education.

(Prof. Sanjiv Kumar)

महाविद्यालय–परिचय

उच्च शिक्षा के प्रसार के पावन उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए ग्रामीण आंचल के यशस्वी, प्रतिष्ठित, उदार, जागरूक एवं दानवीर शिक्षा प्रेमियों के सतत् प्रयास से मिहिर भोज स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1968 में हुई।

महाविद्यालय की विकास यात्रा की शुरूआत वर्ष 1944 में अयोध्या गंज दादरी में स्थापित एक छोटी पाठशाला से हुई। क्षेत्र की शिक्षा की आवश्यकताओं को मूर्तरूप देने हेत गुर्जर विद्या सभा दादरी ने अथक प्रयासों से सैनिक पड़ाव की 52.24 एकड़ भूमि को उत्तर प्रदेश शासन से विद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त किया। वर्ष 1949 में पं० गोविन्द बल्लभ पंत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, संयुक्त प्रदेश के करकमलों से गुर्जर ए० एस० हाईस्कूल की स्थापना हुई। वर्ष 1953 में इस विद्यालय को माध्यमिक महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया एवं 1968 में मिहिर भोज महाविद्यालय की स्थापना हुई जिसकी आधारशिला डॉ० त्रिगुणा सेन, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार ने रखी।

वर्ष 1968 में महाविद्यालय को विज्ञान संकाय में गणित, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर तक मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1970 में महाविद्यालय को स्नातक (जीव विज्ञान) को मान्यता प्राप्त हुई। क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए कला संकाय की स्थापना अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों के साथ 1979 में हुई। तदोपरान्त वर्ष 1985 में भूगोल विषय को मान्यता प्राप्त हुई। क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रसार हेतु स्नातकोत्तर (गणित) एवं स्नातकोत्तर (हिन्दी) कार्यक्रमों को 1995 में अनुमति प्राप्त हुई। इसी क्रम में स्नातकोत्तर (रसायन विज्ञान) को 2001 एवं स्नातक (वाणिज्य) और स्नातकोत्तर (भूगोल) को 2014 में मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2400 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्याध्ययन की समुचित सुविधा से सम्पन्न महाविद्यालय कर्मठ एवं कुशल प्रबन्ध समिति और उत्कृष्ट शिक्षकों के निर्देशन में ज्ञान सुरभि बाँट रहा है।

महाविद्यालय एक विस्तृत, शान्त एवं हरियाली से परिपूर्ण परिसर में स्थित है। संस्था का मुख्य भवन लगभग 6 एकड़ भूखण्ड में स्थापित है, जिसमें व्याख्यान कक्ष, अध्ययन कक्ष, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वनस्पति उद्यान, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, क्रीडास्थल एवं वाचनालय स्थित है।

महाविद्यालय परिवार गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिसके लिए शैक्षिक और सह–शैक्षिक कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और भविष्य की योजनाएं Perspective Plan के रूप में महाविद्यालय की वेबसाइट पर सभी हितधारकों के विचारार्थ प्रदर्शित की जाती है।

स्नातक स्तर

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

कला संकाय (बी०ए०)

मुख्य विषय–

1–हिन्दी, 2– अंग्रेजी, 3– अर्थशास्त्र, 4– इतिहास, 5– भूगोल,
6– राजनीति शास्त्र, 7– शारीरिक शिक्षा

प्रथम सेमेस्टर में उपर्युक्त में से कोई मुख्य तीन विषय चुनने हैं एवं निम्नलिखित माइनर में से कोई एक विषय चुनें।

बी0ए0 के लिए माइनर विषय

1– वनस्पति विज्ञान, 2– जंतु विज्ञान, 3– गणित, 4– भौतिक विज्ञान,
5– रसायन विज्ञान, 6– व्यवसायिक सम्प्रेषण
7– व्यवसायिक संगठन, 8– व्यवसायिक सांख्यिकी

विज्ञान संकाय(बी०एस०सी०)

मुख्य विषय

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय–संयोग उपलब्ध हैं–
1–गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान
2–जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान

उपर्युक्त में से कोई एक संयोग एवं निम्नलिखित माइनर में से कोई एक विषय चुनें।

बी०एस०सी० के लिए माइनर विषय

1– अर्थशास्त्र, 2– अंग्रेजी, 3– हिन्दी, 4– इतिहास, 5– शारीरिक शिक्षा,
6– राजनीति विज्ञान, 7– भूगोल, 8– व्यवसायिक सम्प्रेषण, 9– व्यवसायिक संगठन,
10– व्यवसायिक सांख्यिकी

वाणिज्य संकाय–बी०कॉम० (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

1– व्यवसायिक सम्प्रेषण, 2– व्यवसायिक संगठन, 3– व्यवसायिक सांख्यिकी
निम्नलिखित माइनर में से कोई एक विषय चुने।

वाणिज्य के लिए माइनर विषय

1– वनस्पति विज्ञान, 2– जंतु विज्ञान, 3– गणित, 4– भौतिक विज्ञान, 5– रसायन विज्ञान,
6– अंग्रेजी, 7– हिन्दी, 8– इतिहास, 9– शारीरिक शिक्षा, 10– राजनीति विज्ञान,
11– अर्थशास्त्र, 12– भूगोल

Vocational / Skill Development Courses Offered by the College

Sr.	Title of Course	Coordinating Department / Wing / Committee
1	Basic Communicative English	English
2	Mushroom Cultivation	Botany
3	Life Skills (submitted to the University for approval)	History
4	Tourism and Cultural Heritage	History
5	Principles and Practice of Banking	Economics
6	Yoga	Physical Education
7	Social Work	Political Science
8	Patrakarita	Hindi
9	Fundamentals of Science Laboratory	Chemistry
10	Basic Clinical Techniques	Zoology
11	Vedic Mathematics (submitted to the University for approval)	Mathematics
12	Folk Art	Dr. Sapna Nagar, Cultural Committee
13	Introduction to Share Market	Commerce
14	Fundamentals of Library Science	Library Incharge
15	Certificate Course in Computer	Computer Lab Incharge
16	Fundamentals of Geographical Information System	Geography

Note : The List of Vocational Courses is suggestive and tentative as the course shall be offered subject to availability of teachers

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Regulations &Ordinances for B.A./ B.Sc./ B.Com. under National Education Policy (NEP-2020)

(Effective from session 2021-22)

Date: December 17, 2021

1. Scope of these Ordinances

These Ordinances will be known as Chaudhary Charan Singh University, Meerut Ordinances for B.A./ B.Sc./ B.Com. under National Education Policy (NEP-2020). They will take effect from academic session 2021-22.

Students of B.A./ B.Sc./ B.Com. who took admission upto session 2020-21 and all the other Programmes/ classes/ courses in semester/ annual mode will be governed by the rules regulations and ordinances as circulated by the University in the past from time to time.

2. Admission:

A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12^{th} class, will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s)he has to choose in each semester one more (Major) subject of any faculty, one minor course in one year, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course as per the **Table B**.

3. Compulsory Co-curricular courses

3.1 One course each in first six semesters (Total six courses in three years as per the **Table A** below). These courses are qualifying in nature and the marks of these courses will be assigned corresponding Grades and mentioned on Grade Sheet, but they will not be counted in the calculation of SGPA/ YGPA/ CGPA. Thus, they are also known as "Non-Credit" courses.

3.2 Number of Lectures in each course: 30

3.3 Continuous Internal Evaluation: 25 Marks

3.4 End Semester University Exam (100 MCQ, 2 hours): 75 Marks (No negative marking) Each question will carry 0.75 (3/4) marks, marks obtained will be rounded off to next integer, that is 67.25, 67.5, 67.75 will all be rounded off to 68.

3.5 Minimum passing marks for these courses will be 40 (Continuous Internal Evaluation (CIE) & University Exam (UE) put together)

3.6 The teaching of these courses is the responsibility of UG Courses Co-ordinator/ Incharge in the University Campus and Principal in colleges. For this purpose a Co-Curricular Courses Cell may be formed in University Campus/ College.

Table A

Semester/ Course Code	Title of the course	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Priority of Faculty/ Department Assigned
I Z010101	Food, Nutrition and Hygiene	Concept of Food and Nutrition	Nutrients: Macro and Micro	1000 Day's Nutrition	Community Health Concept	Home Science, Physical education
II Z020201	First aid and Basic Health	Basic First Aid		Basic Sex Education	Mental Health and Psychological First Aid	Zoology, Life Science, Medical,
III Z030301	Human Values and Environment studies	Universal Human Values and Principles of Ethics	Decision making	Basics of environment	Environment laws and conservation	Sociology, Botany, History, Environment Science
IV Z040401	Physical Education and Yoga	Physical Education	Concept of Fitness, Wellness, Weight Management and Lifestyle	Yoga & Meditation	Traditional Games of India and Recreation in Physical Education	Physical Education
V Z050501	Analytic Ability and Digital Awareness	Problem Solving & Decision Making	Analytical Ability & Logical Reasoning	Computer Basics, Use of MS WORD & EXCEL	Web surfing Cyber security	Math, Statistics, Physics, Computer Science.
VI Z060601	Communication Skills and Personality Development	Personality & Personal Grooming	Interview Preparation & Group discussion	Body Language and behavior	Art of Good Communicatio n	English, Vocational studies, Management

4. Minor Courses

4.1 Ideally these are general elective courses of lighter syllabus of a subject, meant for the students who have not chosen this subject as main subject. A minor course of a subject cannot be chosen by a student who has chosen it as a major subject. A student with Mathematics major shall not be allowed to opt for Basic Mathematics as minor. Other examples of minor courses are: Basic Mathematics, Bio Statistics for life Sciences, Basic English Language, Hindi Language, Urdu Master, etc. This list may be developed and appended from time to time. The syllabi of such courses of **four credits** are to be framed by the board of studies of that subject. These papers will be taught separately, from major papers and their CIE & University examinations will also be conducted separately.

4.2 Apart from the minor courses/ papers available in his HEI as defined above, a student can also choose one major theory paper already running in his/her HEI as his minor paper. A student will study this kind of paper with the students of that major subject in the same class and his/her internal assessment of Max. Marks 25 will also be carried out with them by the same teacher concerned. But University examination of this theory paper will be conducted separately by the University with a lighter paper. This will be a descriptive/ objective type theory paper of Max. Marks 75. For such students, this paper will carry four credits fixed, despite of being of 4/5/6 credits as a major paper.

4.3 For setting the question paper of a minor course, Clear instructions should be given to the paper setter that this paper is for the students of other subjects and should include basics of the course contents.

4.4 In a year, a student will have to choose either third major subject or a minor paper of a subject from other faculty (other than his/her own faculty in which he has taken admission in that year).

4.5 A student has to decide his/her choice of minor course/ paper at the beginning of the semester and fill in the examination form.

4.6 If a student earns NCC B or/ and C certificates during the period of UG (Not in 12^{th} class), it will be considered as one Minor paper of four credits. His marks/grades will be awarded according to the decision of **Equivalence committee.**

4.7 If a student completes a course from SWAYAM, MOOCS etc. by recognised Central or state government body, or UGC, or University during the period of UG, it will be considered as one Minor paper of four credits. His marks/grades will be awarded according to the decision of **Equivalence committee.**

5. Continuous Internal Evaluation (CIE)

5.1 All the theory courses/ papers, major/ minor/ skill development (Vocational)/ Co-curricular, will carry a CIE of Maximum Marks 25.

5.2 In all the theory papers of major/ minor and Co-curricular courses, the CIE methodology as suggested by the BOS at the end of the syllabus of each paper shall be adopted. If it is not given there, the following methodology will be adopted:

In each theory paper, there will be one written internal examinations of descriptive nature, carrying Maximum Marks 15. There will also be Two class tests/ Assignments/ Quizes/ Presentation/ Small project etc. (as decided by the teacher concerned in consultation with HOD) of 4 marks each. One mark for attendance between 76-85 % and two marks for attendance between 86-100% will be awarded.

5.3 For Practical papers: The teacher(s) concerned will develop a transparent mechanism suitable for each paper.

5.4 There will be no back paper or improvement of CIE, except for a student taking full semester exams again due to short attendance.

5.5 The total marks in a paper will be awarded to a student out of 100 marks, with CIE and University Exam. (UE) put together. But a student will have to secure at least 25 marks out of 75 in UE to pass a paper.

5.6 CIE will be conducted by the teacher(s), teaching that paper and her/his decision in this regard shall be final.

5.7 The marks of the former internal exam should be declared before latter internal exam. The evaluated answer books/ quize papers/ projects and related material of internal exams should be shown to the students and taken back and kept in the custody of the concerned teacher/ HOD/ Principal for atleast one year or till the result is declared whichever is later.

5.8 The teacher/ HOD/ Principal will have to submit total marks out of M.M. 25 of CIE to the University online and a hard copy atleast 10 days before the commencement of University examination of that semester.

5.9 All the expenses on CIE will be borne by the HEI concerned.

6. University Examination (UE)

6.1 The University examinations will be held at the end of each semester. In these examinations, all the theory and practical courses/ papers, major/ minor/, will carry Maximum Marks 75. The examination duration will be of Three hours, unless specified otherwise.

6.2 The examination will consist of descriptive type questions as per details given below:

	Pattern for University Exam of Major Courses Paper				
Section	**Typee of Question**	**Number of questions**	**Number of questions to attempt**	**Each question will carry Max. Marks**	**Total marks of the section**
A	Very short answer	5	5	3	15
B	Short answer	3	2	7.5	15
C	Long answer	5	3	15	45
Total					**75**

6.3 The examination details for skill development (Vocational)/ Co-curricular courses are given in their respective sections.

6.4 The Practical examination out of Max. Marks 75 will be conducted as usual in the past.

6.5 The expenses on University Examinations will be made as per the existing rules and regulations of the University.

6.6 The total marks in a paper of major/ minor/ co-curricular/ skill courses will be awarded to a student out of 100 marks, with CIE and University Exam. (UE) put together. But a student will have to secure at least 25 marks out of 75 in UE to pass a paper.

Table B

Year-wise Structure of UG Programs of B.A., B.Sc., B.Com

Blue Colour: No. of papers **Red colour: Credits** **Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses**

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		

नोट : नये सत्र से बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम प्रथम वर्ष (2022–2023) में प्रवेश चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।

स्नातकोत्तर स्तर (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत)

1– एम०एस–सी० (गणित)
2– एम०एस–सी०(रसायन विज्ञान)
3– एम0ए0 (भूगोल)
4– एम०ए० (हिन्दी)

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

छात्र / छात्राओं के बहुमुंखी विकास के लिए महाविद्यालय में निम्न ऐच्छिक इकाईयां कार्यरत हैं:

1. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0)** – महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (थलसेना–इंफेंट्री कोर) की एक प्लाटून संचालित हैं, जिसमें 54 छात्र / छात्राओं के लिए सैनिक प्रशिक्षण की सुविधा है। नियमित प्रशिक्षण परेड के अतिरिक्त एक 12 – दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विशेष शिविर आयोजित किये जाते हैं।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)** –देश की प्रगति में छात्र / छात्राओं के योगदान की महती भूमिका रही है। अतः महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा मान्य एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सेवा योजना की दो इकाई कार्यरत हैं, जिनमें प्रति इकाई 100 स्वयं सेवक छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त सात–दिवसीय वार्षिक शिविर का भी आयोजन किया जाता है।

3. **क्रीड़ा** –महाविद्यालय के विशाल क्रीड़ा स्थल में ऐथेलेटिक्स के लिए ट्रैक सहित, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, फुटबाल, कबड्डी, खो–खो आदि खेलों के लिए समुचित व्यवस्था है।

4. **सांस्कृतिक परिषद्**–छात्र / छात्राओं को वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबंध, गायन, नाटक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में प्रतिभाग के लिये मंच प्रदान करती है।

5. **महाविद्यालय पत्रिका 'ज्ञानज्योति'** – छात्रों की साहित्यिक प्रतिभा को उभारने के लिए महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्वजनों की विभिन्न विषयों पर कृतियों एवं महाविद्यालय की सभी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

6. **अनुशासन परिषद्** – महाविद्यालय में अनुशासन व रैगिंग–मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए प्राध्यापकों की एक अनुशासन परिषद् सदैव सक्रिय रहती है। विद्यार्थियों में स्वशासन की क्षमता और उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना का विकास करने हेतु उनका भी प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग लिया जाता है।

7. **महिला प्रकोष्ठ** – छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु एवम् लिंग–समानता संबंधी जागरूकता फैलाने के लिये महिला प्रकोष्ठ सक्रिय रूप से कार्यरत है।

8. Student Clubs - (i) Eco club (ii) Literary Club (iii) Fine Arts Club (iv) Yoga Club (v) Innovation and Entrepreneurship Club (vi) Animation Club (vii) Reading Club (vii) Media Club के माध्यम से विद्यार्थी केन्द्रित गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

9. Mentor -Mentee System इस व्यवस्था के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एक Mentor (शिक्षक) आवंटित किया जाता है। जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेगा।

परिचय–पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के मुख्य–अनुशासक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित परिचय पत्र प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी को परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए। महाविद्यालय परिसर में अधिकारियों द्वारा मांग करने पर परिचय पत्र देना अनिवार्य है। परिचय पत्र गुम होने की स्थिति में विद्यार्थी नये पहचान पत्र के लिये निर्धारित शुल्क के साथ अपने प्रभारी के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

नई पहल

सत्र 2021–2022 के दौरान महाविद्यालय में शैक्षणिक व सह–शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा प्रशासकीय एवम् ढांचागत सुधार के लिये निम्नलिखित प्रयोग एवम् नवाचार किये :

1. Institutional Development plan with defined targets.
2. Code of Conduct for students, teachers and staff.
3. Botanical Garden
4. Students Clubs
5. Mentor-Mentee System
6. Spacious Reading halls for female and male students.
7. Upgradation of Computer Lab.
8. Registration of Alumni Association.
9. Performance Appraisal System for Faculty.
10. Subscription of N-List, DELNET and DEL-PLUS for upgradation of library
11. Introduction of vocational / skill-based courses.
12. Implementation of NEP-2020 based curriculum.

छात्र-वृत्तियाँ, शुल्क-मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष

1. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार 75% योग्य एव निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है।
2. प्रदेश/केन्द्र शासन द्वारा उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ एवं पुस्तक सहायता देय हैं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/–रू0से अधिक न हो।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
4. भारत सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
5. उ0प्र0 शासन द्वारा छात्र कल्याण निधि से प्रदत्त सहायता।
6. छात्र सहायता कोष से निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता।
7. इसके अलावा महाविद्यालय सत्र पर 2022–2023 से चौ0 रघुवर सिंह छात्रवृत्ति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीब एवम् उत्कष्ट प्रर्दशन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिये महाविद्यालय की Website से छात्रवृत्ति के नियम व शर्ते देखी जा सकती हैं।

उपस्थिति

सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्याख्यान एवं प्रयोगात्मक में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। इसके लिए छात्रों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन की व्यवस्था की जा रही है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पूर्ण व्यवस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय है। हमारे पुस्तकालय में लगभग 35,000 पाठ्य पुस्तकें व 1500 सर्दभ पुस्तकें मौजुद हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में लगभग 250 दान की हुई पुस्तके भी पाठ्य हेतु उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय में DELNET की सदस्यता भी है जिसके द्वारा ई–सहभागिता E-CONSOSTIUM, E-JOURNALS व अंतर पुस्तकालय ऋण भारत व विदेशों से किताबें पाठ्न हेतु मँगवाने का प्रावधान भी है।

इसके अलावा NLIST- UGC - INFLIBET सदस्यता है जिससे पाठक E-JOURNALS और E-BOOK को आसानी से पढ सकते हैं। N-LIST पाठको को 6000 से अधिक E-JOURNALS व लगभग 2 लाख E-BOOKS का ACCESS प्रदान करता है।

पुस्तकालय में युजीसी–केयर (UGC-CARE) सूचीबद्ध शोध पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में डेलप्लस सोफ्टवेयर (Delpus Softwar) भी आधुनिकरण हेतु उपलब्ध है।

महाविद्यालय के पुस्तकालय परिसर में छात्र व छात्राओं के लिए अलग–अलग वाचनालय की सुविधा है।

पेयजल सुविधा

छात्र–छात्राओं के लिये महाविद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध है।

WI-FI व कम्प्यूटर लैब

महाविद्यालय में वातानुकूलित (एयर कन्डीशन्ड) कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी है। इसमें अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा बी0कॉम, बी0एस0सी0, बी0ए0 एवं स्नातोकोत्तर कक्षाओं के लिये कौशल विकास पाठ्य क्रम संचालित किया जाता है। साथ ही सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर वाई–फाई सुविधा से युक्त है।

महाविद्यालय की प्रवेश नियमावली

1. कॉलेज में स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। उन्हीं छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र जमा होंगे जिन्होंने चौ0 चरणसिंह विश्वविद्यालय, मरेठ की वेबसाइट (www.ccsuonline.in) पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आनलाईन रजिस्ट्रेशन करा लिया है तथा रजिस्ट्रेशन का ई – कूपन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हैं। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र इस विवरिणका के अन्त में संलग्न है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी योग्यतांक सूची के वरीयता–क्रम के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
3. स्नातक उपाधि हेतु प्रवेश नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। स्नातकोत्तर कक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त की हो।
5. प्रवेश हेतु वरीयता का निर्धारण स्नातक कक्षाओं के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।
6 जिन छात्रों के शैक्षिक कार्यकाल में अन्तराल हैं, उनको शपथ– पत्र देना होगा।
7. नवीन प्रवेशार्थी अपने आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र सलग्न कर कॉलेज में प्रवेश करायेंगे।

(i) विश्वविद्यालय में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने का प्रमाण/ई–कूपन/चालान की प्रति।
(ii) ऑन लाईन रजिस्ट्रशन द्वारा डाउनलोड किया गया आवेदन–पत्र।
(iii) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C.) की मूलप्रति।
(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।
(v) अंतिम संस्था द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(vi) हाईस्कूल एवं उसके उपरान्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं को प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां।
(vii) यदि प्रवेशार्थी राष्ट्रीय/राज्य/अर्न्तविश्वविद्यालय स्तर का खिलाडी है उसके प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(viii) मूल निवास प्रमाण पत्र
(ix) आय प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए / अन्य पिछड़ा वर्ग)
(x) एन्टी रैगिंग सम्बन्धी शपथ पत्र

8. प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपियां प्रवेश–समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी।
9. निम्नलिखित श्रेणी के छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि त्रुटिवश उनका प्रवेश हो भी गया हो तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है:

(i) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित छात्र अथवा जिनके विरूद्ध फौजदारी का मुकदमा दर्ज हो।
(ii) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षा में नकल करने/कराने के दोषी छात्र।
(vi) अमर्यादित तथा अनुशासनहीन व्यवहार करने वाले छात्र।
(v) ऐसे छात्र जिन्हे महाविद्यालय अधिकारियों द्वारा कम से कम 100 रु0 अथवा अधिक अर्थदण्ड दिया गया हो।
(vi) ऐसे छात्र जो इस अथवा अन्य महाविद्यालय द्वारा निष्कासित या निलम्बित हों ।
(vii) किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश होने/ जारी रहने की स्थिति में। * विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार।
(viii) प्रवेश के समय छात्र/अभिभावक द्वारा दी गयी सूचना अपूर्ण अथवा असत्य हो।

10. सभी छात्र/छात्रा प्रवेश प्रार्थना–पत्र के साथ अपना अभिमुखी छायाचित्र अवश्य लगायें।
11. यह महाविद्यालय विश्वविद्यालयी परीक्षा का केन्द्र है तदापि विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वे किसी भी परीक्षार्थी को बिना बताये इस केन्द्र से किसी अन्य केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दें।
12. प्रवेश के अन्य नियम विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली के प्रावधानों से आच्छादित होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम लागू होगें।

इस सत्र से महाविद्यालय Online आवदेन पत्र की सुविधा भी प्रदान कर रहा है जिसे अभ्यर्थी Prospectus के ऊपर छपे QR code के मध्यम से भर सकते है।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता
(Code of Conduct for Students)

- सभी विद्यार्थी अपना महाविद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखेंगे और किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर उसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के आरम्भ में आयोजित होने वाले दीक्षारम्भ कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होंगे एवं कक्षा के दौरान अन्यत्र नहीं घूमेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के मुख्य द्वार, कक्षा, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं पुस्तकालय में व्यर्थ में एकत्रित नहीं होंगे और न ही शोर करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपने रिक्त समय में पुस्तकालय/वाचनालय का समुचित प्रयोग करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करेंगे। कॉलेज में किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। वाहन की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध है।
- सभी विद्यार्थी सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे एवं किसी भी स्थान पर वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही आवेश में आकर हिंसात्मक व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट/वेबसाइट/फेसबुक पेज देखेंगे एवं तदनुसार आचरण करेंगे।
- सभी विद्यार्थी किसी भी अवस्था में महाविद्यालय की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का संचालन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी धर्म/भाषा /प्रान्त / राजनैतिक विचारधारा / जाति / लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तथा मानवता एवं मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में श्यामपट्ट / दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और न ही पोस्टर चिपकायेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में कोई हैण्डबिल/पेम्पलेट वितरित या चस्पा नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अन्य संस्थाओं के छात्रों, अपने सम्बन्धियों एवं मित्रो को महाविद्यालय में नहीं लायेंगे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।
- सभी विद्यार्थी स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे।
- महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग दस्ता सक्रिय है। प्रवेश से पूर्व छात्र/छात्रा तथा अभिभावक को एण्टी रैगिंग सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न'' (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013) की सभी धाराओं का पालन करना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखेंगे और अनुशासनहीनता की स्थिति में अनुशासन समिति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय को 'प्लास्टिक–मुक्त' रखने में अपना योगदान देंगे और पॉलीथीन/प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देंगे और कूड़े का निस्तारण उचित रूप से करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपनी अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक, खेलकूद और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर

- सभी विद्यार्थी अपना महाविद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखेंगे और किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर उसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के आरम्भ में आयोजित होने वाले दीक्षारम्भ कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होंगे एवं कक्षा के दौरान अन्यत्र नहीं घूमेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के मुख्य द्वार, कक्षा, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं पुस्तकालय में व्यर्थ में एकत्रित नहीं होंगे और न ही शोर करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपने रिक्त समय में पुस्तकालय/वाचनालय का समुचित प्रयोग करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करेंगे। कॉलेज में किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। वाहन की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध है।
- सभी विद्यार्थी सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे एवं किसी भी स्थान पर वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही आवेश में आकर हिंसात्मक व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट/वेबसाइट/फेसबुक पेज देखेंगे एवं तदनुसार आचरण करेंगे।
- सभी विद्यार्थी किसी भी अवस्था में महाविद्यालय की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का संचालन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी धर्म/भाषा /प्रान्त / राजनैतिक विचारधारा / जाति / लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तथा मानवता एवं मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में श्यामपट्ट / दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और न ही पोस्टर चिपकायेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में कोई हैण्डबिल/पेम्पलेट वितरित या चस्पा नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अन्य संस्थाओं के छात्रों, अपने सम्बन्धियों एवं मित्रो को महाविद्यालय में नहीं लायेंगे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।
- सभी विद्यार्थी स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे।
- महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग दस्ता सक्रिय है। प्रवेश से पूर्व छात्र/छात्रा तथा अभिभावक को एण्टी रैगिंग सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न'' (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013) की सभी धाराओं का पालन करना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखेंगे और अनुशासनहीनता की स्थिति में अनुशासन समिति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय को 'प्लास्टिक–मुक्त' रखने में अपना योगदान देंगे और पॉलीथीन/प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
- सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देंगे और कूड़े का निस्तारण उचित रूप से करेंगे।
- सभी विद्यार्थी अपनी अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक, खेलकूद और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे।
- सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अध्यापकों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, सहपाठियों व आगन्तुकों से उत्कृष्ट व्यवहार

शिक्षकों के लिए आचार संहिता

(Code of Conduct of Teaching Staff)

1— शिक्षक एवं उनके दायित्व—

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों तक प्रसार करना एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शान्त, धैर्यवान, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो ।

एक शिक्षक को —

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जिनकी समुदाय उनसे आशा करता है ।
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखना चाहिए।
- ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदार करने एवं मुक्त व मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए।
- पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाये रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षकों एवं अनुशिक्षकों को अपने प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि : प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित करने में सहायता करना ।सामुदायिक सेवा सहित सह पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्य—कलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

2. शिक्षक और छात्र —

शिक्षक को :

- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए।
- छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- छात्रों को उनकी उपलब्धियों में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

उद्देशिका :— हम महाविद्यालय के समस्त सदस्य, महाविद्यालय की शैक्षिक स्वतंत्रता, सर्वांगीण विकास, प्रत्येक सदस्य की सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, एव रचनात्मक क्षमता और स्वभाव का पोषण करने तथा बंधुत्व की भावना बढ़ाने का संकल्प लेते है।

- छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतन्त्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण व शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए।

1– शिक्षक एवं उनके दायित्व–

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों तक प्रसार करना एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शान्त, धैर्यवान, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो ।

एक शिक्षक को –

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जिनकी समुदाय उनसे आशा करता है ।
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखना चाहिए।
- ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदार करने एवं मुक्त व मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए।
- पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाये रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षकों एवं अनुशिक्षकों को अपने प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्यो का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि : प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित करने में सहायता करना ।सामुदायिक सेवा सहित सह पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्य–कलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

2. शिक्षक और छात्र –

शिक्षक को :

- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए।
- छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- छात्रों को उनकी उपलब्धियों में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

उद्देशिका :– हम महाविद्यालय के समस्त सदस्य, महाविद्यालय की शैक्षिक स्वतंत्रता, सर्वांगीण विकास, प्रत्येक सदस्य की सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, एव रचनात्मक क्षमता और स्वभाव का पोषण करने तथा बंधुत्व की भावना बढ़ाने का संकल्प लेते है।

- छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतन्त्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण व शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए।
- छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए।
- कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता
(Code of Conduct for Non-Teaching Staff)

1. सह–शैक्षणिक कर्मचारी और उनके दायित्व– एक कर्मचारी का दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे।
2. एक सह–शैक्षणिक कर्मचारी को –

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, परिजन आदि उनसे आशा करते हैं।
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- उन्हें अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए।
- महाविद्यालय के नियमों व कार्यालय आदेशों का पालन करना चाहिए और महाविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और सह–शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि– प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, शुल्क जमा करना, परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना, प्रशासनिक कार्यों को पूरी क्षमता से निष्पादित करना, विद्यार्थी हित में कार्य करना एवं अतिरिक्त दिये गये कार्यों का समय से पूरा करना आदि।
- सामुदायिक सेवा सहित सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।
- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- महाविद्यालय के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता करनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, सहपाठियों, शिक्षकों अथवा प्रशासन के विरूद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।
- पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे।
- अन्य कर्मचारियों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए।
- उच्च प्राधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाने से बचना चाहिए।
- अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।
- लागू नियमों के अनुसार अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसे अन्य रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।
- विभिन्न कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना।

1. सह–शैक्षणिक कर्मचारी और उनके दायित्व– एक कर्मचारी का दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे।

2. एक सह–शैक्षणिक कर्मचारी को –

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, परिजन आदि उनसे आशा करते हैं।
- उन्हे अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों।
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए।
- उन्हें अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए।
- महाविद्यालय के नियमों व कार्यालय आदेशों का पालन करना चाहिए और महाविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और सह–शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि– प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, शुल्क जमा करना, परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना, प्रशासनिक कार्यों को पूरी क्षमता से निष्पादित करना, विद्यार्थी हित में कार्य करना एवं अतिरिक्त दिये गये कार्यों का समय से पूरा करना आदि।
- सामुदायिक सेवा सहित सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।
- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- महाविद्यालय के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता करनी चाहिए।
- विद्यार्थियों, सहपाठियों, शिक्षकों अथवा प्रशासन के विरूद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।
- पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे।
- अन्य कर्मचारियों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए।
- उच्च प्राधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाने से बचना चाहिए।
- अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।
- लागू नियमों के अनुसार अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसे अन्य रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।
- विभिन्न कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र– 2022 – 2023

महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियमः

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जॉच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियॉं 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियम:

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यार्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियमः

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आर्नेलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नही की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ड़) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियमः

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ड़) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियम:

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ड़) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(vi) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियम:

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ड़) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम मे प्रवेश नियम:

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ड़) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1. बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नियमः

विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बी0ए0/बी0 एस0सी0/बी0कॉम में प्रवेश नई शिक्षा नीति – 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमावली एवं अध्यादेश के अनुसार किया जायेगा ।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यार्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई आनॅलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में अभयर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियामानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभयर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2020–21 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती हैं। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयो को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाईन सम्पुष्ट करने होगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन मे सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भी भरे जा सकते हैं।

घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो की दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015–2016 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता केस्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तरपर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीटउपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

शिक्षक - शिक्षणेत्तर कर्मचारी

प्राचार्य : प्रो० संजीव कुमार, Ph.D, English

कला संकाय :

हिन्दी विभाग :

1. डॉ० मनोरमा ओझा, M.A., NET, Ph.D, सहायक आचार्य
2. श्री प्रभात यादव, M.A., NET-JRF, M.Phil, सहायक आचार्य

अंग्रेजी विभाग :

1. डॉ0 के0पी0 सिंह, M.A., M.Phil, NET, Ph.D, PGDSLM सहायक आचार्य
2. श्री शैलेन्द्र कुमार, M.A., NET, सहायक आचार्य

अर्थशास्त्र विभाग :

1. डॉ0 रूपम सोती, M.A., M.ED., NET, Ph.D, सह आचार्य
2. श्री आशीष कुमार, M.A., NET, सहायक आचार्य

इतिहास विभाग :

1. श्री सूर्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ, M.A., NET, सहायक आचार्य
2. रिक्त

भूगोल विभाग :

1. सुश्री प्रगति सिंह, M.A., NET, सहायक आचार्य
2. रिक्त

शारीरिक शिक्षा विभाग :

1. डॉ0 प्रियंका यादव, M.P.E., Ph.D, J.R.F., D.Y.Ed, सह आचार्य

राजनीति शास्त्र विभाग :

1. श्री समय सिंह मीणा, M.A., M.Phil, UGC, NET-JRF, सहायक आचार्य
2. रिक्त

विज्ञान संकाय :

रसायन विज्ञान विभाग :

1. डॉ0 हर्षवर्धन, M.SC., Ph.D, सह आचार्य
2. श्री मनोज पटेल M.SC., NET, सहायक आचार्य
3. रिक्त

भौतिक विज्ञान विभाग :

1. डॉ0 सेवक कुमार नागर, M.SC., Ph.D, सहायक आचार्य
2. सुश्री कृति जैन, M.SC., NET, सहायक आचार्य

गणित विभाग :

1. डॉ0 राजेन्द्र सिंह, M.SC., Ph.D, सह आचार्य
2. डॉ0 सपना नागर, M.A., M.SC. Ph.D, सह आचार्य

जन्तु विज्ञान विभाग :

1. डॉ0 शीला गुप्ता, M.SC., Ph.D, सह आचार्य
2. रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग :

1. डॉ0 ऋचा उपाध्याय, M.SC., Ph.D, सहायक आचार्य
2. रिक्त

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमो में कार्यरत शिक्षक

हिन्दी विभाग (स्नातकोत्तर)

1. डॉ० रईस हसन, M.A., Ph.D, सहायक आचार्य
2. श्रीमती कविता रानी, M.A., NET, सहायक आचार्य

वाणिज्य विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. डॉ0 अजय गर्ग, M.COM, NET, Ph.D, सहायक आचार्य
2. डॉ0 कृष्ण मुरारी, M.COM., M.Phil, Ph.D, सहायक आचार्य

रसायन विज्ञान विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. डॉ0 रजनीश कुमार, M.SC., Ph.D, सहायक आचार्य
2. डॉ0 निर्मला शिशौदिया, M.SC., Ph.D, सहायक आचार्य

भूगोल विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. श्री सतीश भाटी, M.A., B.Ed, UGC-NET, सहायक आचार्य
2. श्री कपिल कसाना, M.A., B.Ed, NET, सहायक आचार्य

गणित विभाग : (स्नातकोत्तर)

1. श्री कपिल बैंसला, M.Sc., M.A., LL.B, CSIR-NET, GATE, सहायक आचार्य
2. श्री प्रवीण कुमार, M.Sc., JRF-NET, सहायक आचार्य (PART-TIME)

पुस्तकालय :

1. हृदयेश कुमार सिंह, M.Lib, NET

सह-शैक्षणिक कर्मचारी

1. श्री राजेश, कार्यालय अधीक्षक
2. श्री कपिल नागर, लेखाकार
3. श्री नरेश कुमार, कार्यालय सहायक
4. श्री योगेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला सहायक–रसायन विज्ञान
5. श्री सुशील कुमार बंसल, प्रयोगशाला सहायक–वनस्पति विज्ञान
6. श्री अजीपाल, कार्यालय
7. श्री सतबीर सिंह, पुस्तकालय
8. श्री इन्द्रजीत सिंह, कार्यालय
9. श्री राजू, प्राचार्य कक्ष
10. श्री राजेश, कार्यालय

सह-शैक्षणिक कर्मचारी (स्ववित्तपोषित)

1. श्री लोकेश बंसल, का0सहायक
2. श्री एच0सी0 तिवारी, का0सहायक
3. श्री दिनेश कुमार, का0सहायक
4. श्री राजकुमार
5. उमेश
6. कर्मबीर सिंह
7. श्री धनपाल सिंह
8. जगबीर सिंह
9. ब्रह्मपाल सिंह
10. श्री नीलामबर

मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कालिज

दादरी–ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर–203207

(सम्बद्ध– चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)

पत्रांक : 99 / 2022–23 दिनांक : 20 / 07 / 2022

सत्र : 2022–23

महाविद्यालय के विकास एवं सुचारू संचालन हेतु गठित समितियाँ तथा कार्य

महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022–23 के लिए महाविद्यालय एवं छात्र कार्यों से सम्बन्धित समितियों की सूची निम्न प्रकार से है–

क्रम सं०	समिति का नाम	पदाधिकारी	कार्य जिन्हें करने / कराने के लिए अधिकृत हैं
1.	महाविद्यालय विकास, लक्ष्य निर्धारण एवं बजट समिति	अध्यक्ष / सचिव द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के तीन सदस्य : 1– अध्यक्ष– श्री जय प्रकाश नागर जी (अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)– 2– सचिव– श्री वेदपाल सिंह जी (सचिव, प्रबन्ध समिति)– 3– सदस्य– डॉ० रूपेश वर्मा जी (सदस्य, प्रबन्ध समिति)– 4– प्राचार्य– डॉ० संजीव कुमार (पदेन) 5– संयोजक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 6– सह–संयोजक– डॉ० रूपम सोती 7– सह–संयोजक– डॉ० प्रियंका यादव 8– लेखाकार – श्री कपिल नागर	महाविद्यालय के विकास हेतु कार्य योजना, मास्टर प्लान तैयार करना एवं विभिन्न कार्यो हेतु वार्षिक बजट तैयार करना।
2.	केन्द्रीय क्रय एवम् ढांचागत विकास निगरानी समिति	अध्यक्ष / सचिव द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के चार सदस्य : 1– अध्यक्ष– श्री जय प्रकाश नागर जी (अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)– 2– सचिव– श्री वेदपाल सिंह जी (सचिव, प्रबन्ध समिति)– 3– सदस्य– डॉ० रूपेश वर्मा जी (सदस्य, प्रबन्ध समिति)– 4– प्राचार्य– डॉ० संजीव कुमार (पदेन) 5– संयोजक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 6– सह–संयोजक– श्री शैलेन्द्र कुमार 7– सदस्य– डॉ0 रजनीश कुमार 8– सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष 9– लेखाकार– श्री कपिल नागर	निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवम् उपकरणो आदि की क्रय प्रक्रिया सम्पन्न कराना एवम् सभी ढांचागत विकास कार्यों की निगरानी। नोट– निगरानी समिति समय–समय पर सक्षम अधिकारी को अपनी आख्या प्रेषित करेगी।
3.	विद्युत एवं आई.सी.टी. प्रबन्धन समिति	अध्यक्ष / सचिव द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के तीन सदस्य : 1– अध्यक्ष– श्री जय प्रकाश नागर जी (अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)– 2– सचिव– श्री वेदपाल सिंह जी (सचिव, प्रबन्ध समिति)– 3– सदस्य– डॉ० रूपेश वर्मा जी (सदस्य, प्रबन्ध समिति)– 4– समन्वयक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 5– संयोजक– डॉ0 हर्षवर्धन 6– सदस्य– श्री शैलेन्द्र कुमार 7– सदस्य– डॉ० रजनीश कुमार 8– लेखाकार– श्री कपिल नागर	विद्युत, जनरेटर, आई.सी.टी., स्मार्ट क्लासरूम, प्रायोगिक उपकरणों आदि का प्रबन्धन, क्रय एवम् निगरानी।

4.	आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)	1– संरक्षक– श्री वेदपाल सिंह, सचिव, प्रबन्ध समिति 2– अध्यक्ष– डॉ० संजीव कुमार, प्राचार्य (पदेन) 3– संयोजक– डॉ0 प्रियंका यादव 4– सह–संयोजक– डॉ० रूपम सोती 5– सह–संयोजक– कु० प्रगति सिंह 6– सह–संयोजक– श्री समय सिंह मीना 7– सह–संयोजक–डॉ० सपना नागर 8– सह–संयोजक– श्री सूर्यप्रकाश 9– सह–संयोजक– श्री शैलेन्द्र कुमार 10– सह–संयोजक– श्री मनोज पटेल 11– सदस्य– श्री राजेश सिंह, कार्यालय अधीक्षक 12– सदस्य– श्री कपिल नागर 12– सदस्य– स्थानीय समाज प्रतिनिधि 13– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि 14– सदस्य– डॉ० रूपेश वर्मा, भूतपूर्व छात्र/हितधारक प्रतिनिधि 15– सदस्य– महाविद्यालय द्वारा नामित उद्योग सम्बन्धी प्रतिनिधि 16– सदस्य– महाविद्यालय द्वारा नामित नियोक्ता सम्बन्धी प्रतिनिधि	(i) अकादमिक सम्परीक्षण, IQAC सम्बन्धी कार्य, अध्ययन/अध्यापन में नवाचार एवम् नये प्रयोग। (ii) AQAR, IIQA एवम् SSR तैयार करना एवम् प्रेषित करना। (iii) मूल्यांकन एवम् प्रत्यायन सम्बन्धी सभी तैयारियों का संयोजन।
5. .	समय–सारिणी समिति	1– समन्वयक– डॉ0 रूपम सोती 2– सह समन्वयक– डॉ0 हर्षवर्धन (विज्ञान वर्ग) 3– सह समन्वयक– डॉ० प्रियंका यादव (कला वर्ग) 4– सह–संयोजक– डॉ० रजनीश कुमार (स्ववित्तपोषित कार्यक्रम)	निर्धारित कार्यभार के अनुरूप उपसमितियों के माध्यम से सामान्य एवं विभागीय समयसारिणी तैयार करना एवम् क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
6.	पुस्तकालय समिति	अध्यक्ष/सचिव द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के तीन सदस्य : 1– 2– 3– 4– समन्वयक एवम् मुख्य प्रभारी– डॉ० राजेन्द्र सिंह 5– संयोजक – डॉ0 के०पी० सिंह 6– सह–प्रभारी– डॉ० ऋचा उपाध्याय 7– सह–प्रभारी– श्री आशीष कुमार सिंह 8– सह–प्रभारी– श्री प्रभात यादव 9– सह–प्रभारी– श्री मनोज पटेल 10– सदस्य– सभी विभाग प्रभारी 11– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि 12– पदेन सदस्य– पुस्तकालय प्रभारी 13– लेखाकार– श्री कपिल नागर	पुस्तकालय का सुव्यवस्थीकरण, सुसंचालन, आधुनिकीकरण, पुस्तकों एवं अन्य सामान के क्रय, पुस्तकों के राइट ऑफ आदि की व्यवस्था।

7.	क्रीड़ा	अध्यक्ष/सचिव द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के दो सदस्य : 1– अध्यक्ष– श्री जय प्रकाश नागर जी (अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)– 2– सचिव– श्री वेदपाल सिंह जी (सचिव, प्रबन्ध समिति)– 3– समन्वयक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 4– संयोजक– डॉ0 प्रियंका यादव 5– सह–संयोजक– कु० प्रगति सिंह 6– सदस्य– श्री कपिल बैंसला 7– सदस्य– डॉ० निर्मला सिसोदिया 8– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि 9– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा प्रतिनिधि	खेलों के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करना, खेलकूद सम्बन्धी प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना, खेल सम्बन्धी सामान का क्रय और क्रीडा स्थल की सम्पूर्ण देखरेख।
8.	सांस्कृतिक समिति	1– प्रभारी– डॉ0 सपना नागर 2– संयोजक– डॉ० मनोरमा ओझा 3– सह–संयोजक– कु० प्रगति सिंह 4– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 5– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि 6– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा प्रतिनिधि	(i) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी एवम् आयोजन। (i) विद्यार्थियों की अभिरूचि के अनुसार विभिन्न सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों का संचालन।
9.	प्रकाशन/मुद्रण/स्टेशनरी समिति/कॉलेज पत्रिका/विवरणिका/ वार्षिक प्रतिवेदन आदि।	समन्वयक एवम् मुख्य प्रभारी – डॉ० राजेन्द्र सिंह **अंग्रेजी अनुभाग :** (i) सम्पादक– डॉ० के.पी. सिंह (ii) सह सम्पादक– श्री शैलेन्द्र कुमार **हिन्दी अनुभाग :** 1– सम्पादक – (i) डॉ० मनोरमा ओझा (ii) डॉ० रईस हसन 2– सदस्य– श्री सूर्य प्रकाश 3– सदस्य–श्री प्रभात यादव 4– सदस्य–श्री आशीष कुमार सिंह 5– सदस्य– श्रीमती कविता रानी 6– सदस्य– श्री कपिल बैंसला 7– सदस्य– श्री कपिल कसाना 8– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र प्रतिनिधि (पत्रिका हेतु) 9– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्रा प्रतिनिधि (पत्रिका हेतु) **नोट– मुख्य प्रभारी संपादन मंडल व सदस्यों को जिम्मेवारी आवंटित करेंगे।**	वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक पत्रिका, विवरणिका, विभिन्न कार्यो हेतु रजिस्टर, स्टेशनरी आदि की छपाई, संपादन एवम् क्रय।
10.	अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग	1– मुख्य अनुशासक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– सह–मुख्य अनुशासक– डॉ० प्रियंका यादव 3– अनुशासक– डॉ० हर्षवर्धन 4– अनुशासक– डॉ० के०पी० सिंह 5– समस्त शिक्षकगण (मुख्य अनुशासक के निर्देशानुसार) 6– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित छात्र/छात्रा प्रतिनिधि	महाविद्यालय में अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना।

11.	छात्र कल्याण एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रवृत्ति	1– संरक्षक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– प्रभारी–डॉ० शीला गुप्ता 3– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 4– सदस्य– डॉ० मनोरमा ओझा 5– सदस्य – श्री कपिल नागर	निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति, महाविद्यालय स्तरीय छात्र प्रकरणों व छात्रवृत्ति, निर्धन छात्र सहायता एवम् सम्बन्धित कार्य।
12.	जन सूचना अधिकारी एवम् जन–सुनवाई पोर्टल	1– जनसूचना अधिकारी एवम् नोडल ऑफिसर, IGRS– डॉ० हर्षवर्धन 2– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 3– सदस्य – श्री कपिल नागर	जनसूचना, जन–सुनवाई पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्य।
13.	परीक्षा समिति	1– संरक्षक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– प्रभारी– डॉ० शीला गुप्ता 3– सह प्रभारी– डॉ० सेवक कुमार 4– सदस्य– श्री आशीष कुमार 5– सदस्य– श्री प्रभात यादव 6– सहायक– श्री योगेन्द्र सिंह 7– सहायक– श्री ब्रहमपाल 8– सहायक– श्री नरेश कुमार 9– सहायक– श्री हेम चन्द्र तिवारी 10– सहायक– श्री लोकेश बंसल	परीक्षा सम्बन्धी कार्य।
14.	प्रवेश समिति	1– संरक्षक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– समन्वयक/संयोजक– डॉ0 प्रियंका यादव 3– सह संयोजक– डॉ0 के०पी० सिंह (कला वर्ग) 4– सह संयोजक– डॉ0 शीला गुप्ता, विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान) 5– सह संयोजक– डॉ० हर्षवर्धन, विज्ञान वर्ग (गणितीय विषय) 6– सह संयोजक– डॉ० रजनीश (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) 7– सदस्य – डॉ० ऋचा उपाध्याय 8– सदस्य– डॉ० सेवक कुमार 9– सदस्य– डॉ० सपना नागर 10– सदस्य– कु. प्रगति सिंह 11– सदस्य– श्री सूर्य प्रकाश 12– सदस्य– श्री शैलेन्द्र कुमार 13– सदस्य– श्री आशीष कुमार 14– सदस्य– डॉ० मनोरमा ओझा 15– सदस्य– श्री रामय सिंह मीना 16– सदस्य– श्री प्रभात यादव 17– सदस्य– श्री मनोज पटेल 18– सदस्य– स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के सभी शिक्षक **नोट–समिति के संरक्षक व समन्वयक आवश्यकतानुसार शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों में जिम्मेवारी आवंटित कर सकते हैं।**	उप समितियों के माध्यम से प्रवेश सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराना।

15.	NAAC स्टीयरिंग समिति	1– संरक्षक – श्री वेदपाल सिंह, सचिव, प्रबन्ध समिति 2– अध्यक्ष – डॉ० संजीव कुमार, प्राचार्य (पदेन) 3– समन्वयक – डॉ० राजेन्द्र सिंह 4– संयोजक– डॉ० रूपम सोती 5– सहसंयोजक– डॉ० हर्षवर्धन 6– सहसंयोजक– डॉ० शीला गुप्ता 7– सदस्य– आई.क्यू.ए.सी. के सभी सदस्य	NAAC सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन एवम् मार्गदर्शन।
16.	छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति	1– अध्यक्ष– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– नोडल आफिसर – डॉ० के०पी० सिंह **बी.ए.** – संयोजक (सामान्य वर्ग)– कु० प्रगति सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री प्रभात यादव, श्री कपिल कसाना (भूगोल) – संयोजक– ओ.बी.सी.– श्री सूर्य प्रकाश, श्री समय सिंह मीना, श्री सतीश भाटी एवं श्रीमती कविता रानी – संयोजक (अनु.जाति/जनजाति वर्ग)– (1) श्री आशीष कुमार (2) डॉ० मनोरमा ओझा – संयोजक (अल्पसंख्यक वर्ग)– डॉ० रहीस हसन सम्बन्धित विभाग लिपिक **बी.एस–सी.** संयोजक डॉ० हर्षवर्धन – संयोजक (सामान्य वर्ग) – (1) डॉ० रजनीश (2) श्री मनोज पटेल संयोजक पिछड़ा वर्ग– (1) डॉ० सपना नागर (2) डॉ० निर्मला, – संयोजक एस.सी./एस.टी.– (1) डॉ० ऋचा उपाध्याय (2) श्री कपिल बैसला – संयोजक अल्पसंख्यक– डॉ० रहीस हसन – सम्बन्धित विभाग लिपिक **बी.कॉम. एम.ए., एम.एस.सी** (सामान्य/ओबीसी/एस.सी./एस.टी. /अल्पसंख्यक – श्री अजय गर्ग, डॉ० कृष्ण मुरारी सम्बन्धित विभाग लिपिक श्री लोकेश बंसल **नोट– समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार जिम्मेवारी आवंटित कर सकते हैं।**	छात्रों द्वारा ऑनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्रों की जॉच एवं उनको सत्यापित करना।
17.	महाविद्यालय हरित परिसर निरीक्षण समिति	1– संयोजक – ईको क्लब, समन्वयक/संयोजक 2– सह–संयोजक – डॉ० प्रियंका यादव 3– सह–संयोजक – डॉ० शीला गुप्ता 4– सह–संयोजक – डॉ० कंवरपाल सिंह 5– सह–संयोजक – डॉ० सेवक नागर 6– सह–संयोजक – डॉ० सपना नागर 7– सह–संयोजक – डॉ० रजनीश कुमार 8– कार्यालय अधीक्षक – श्री राजेश सिंह	महाविद्यालय परिसर में प्रदूषण मुक्त एवं प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण परिसर को विकसित करना एवम् इससे सम्बन्धित गतिविधियों की निरन्तर निगरानी।

18.	जल, विद्युत एवं फर्नीचर निगरानी एवम् अनुरक्षण समिति	1– संरक्षक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– संयोजक– जल संबंधी– डॉ० रहीस हसन 3– संयोजक– फर्नीचर संबंधी– श्री शैलेन्द्र कुमार 4– संयोजक– विद्युत संबंधी– डॉ० रजनीश कुमार 5– कार्यालय अधीक्षक – श्री राजेश सिंह **नोट– यह समिति क्रम सं. 31 पर वर्णित समिति के कार्यों की निगरानी करेगी एवम् विभिन्न कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेगी।**	महाविद्यालय में आन्तरिक कार्यों का अनुरक्षण करना एवं उनकी नियमित देखभाल करना।
19.	समान अवसर एवं छात्र शिकायत निवारण समिति	1– संरक्षक– डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– संयोजक– डॉ० सपना नागर (महिला व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि) 3– सहसंयोजक– श्री समय सिंह मीना (अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि) 4– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश (सामान्य वर्ग प्रतिनिधि) 5– सदस्य– डॉ० रहीस हसन (अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि) 6– सदस्य– श्री नरेश कुमार (अनुसूचित जाति प्रतिनिधि) 7– सदस्य– प्राचार्य द्वारा नामित दो छात्र प्रतिनिधि	महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का निवारण करना।
20.	कम्प्यूटर लैब, वेबसाइट, वाई–फाई, फेसबुक पेज, यू–ट्यूब चैनल प्रबन्धन समिति	1– प्रभारी– श्री शैलेन्द्र कुमार 2– सदस्य– श्री मनोज पटेल 3– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश (फेसबुक पेज) 4– सदस्य– श्री आशीष कुमार 5– कार्यालय अधीक्षक– श्री राजेश सिंह 6– लेखाकार– श्री कपिल नागर	कम्प्यूटर प्रयोगशाला, महाविद्यालय वेबसाइट, वाई–फाई नेटवर्किंग, यू–ट्यूब व फेसबुक आदि का सुचारू रूप से संचालन, मरम्मत व रख–रखाव।
21.	प्लेसमेन्ट कमेटी	1– प्रभारी– डॉ० ऋचा उपाध्याय 2– सह–प्रभारी– श्री प्रभात यादव 3– सदस्य– डॉ० निर्मला सिसोदिया 4– सदस्य– श्री अजय गर्ग 5– सदस्य– श्री कपिल कसाना	महाविद्यालय के छात्रों के प्लेसमेंन्ट के लिए यथासंभव उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
22.	कैरियर परामर्श एव मार्गदर्शक कमेटी	1– प्रभारी– डॉ० हर्षवर्धन 2– सदस्य–कु० प्रगति सिंह 3– सदस्य–श्री सूर्यप्रकाश 4– सदस्य–श्री शैलेन्द्र कुमार 5– सदस्य–श्री कपिल बैसला	महाविद्यालय के छात्रों को उपयुक्त कैरियर सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध कराना एवम् प्रतिस्पर्धी परीक्षा सम्बन्धित कक्षाओं का आयोजन।
23.	नये कोर्स एवं वैल्यू एडेड कोर्स कमेटी	1– प्रभारी– डॉ० ऋचा उपाध्याय 2– सदस्य–श्री सूर्यप्रकाश 3– सदस्य–श्री आशीष कुमार 4– सदस्य–डॉ० मनोरमा ओझा	महाविद्यालय में नये कोर्स एवं वैल्यू एडेड कोर्स सम्बन्धी कार्य।
24.	ऑनलाइन शिक्षण एवं ई–कटेंट	1– प्रभारी– डॉ० हर्षवर्धन 2– सदस्य– डॉ० प्रियंका यादव 3– सदस्य– डॉ० के.पी. सिंह 4– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 5– सदस्य– श्री मनोज पटेल	ऑनलाइन शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

25.	महिला प्रकोष्ठ एवं एन्टी लैंगिक उत्पीड़न समिति	1– प्रभारी– डॉ० रूपम सोती 2– सह प्रभारी– डॉ० शीला गुप्ता 3– सदस्य– डॉ० प्रियंका यादव 4– सदस्य– डॉ० सपना नागर 5– सदस्य– श्री आशीष कुमार 6– छात्रा प्रतिनिधि– आयुषी (बी.ए. प्रथम वर्ष)	(i) महाविद्यालय में कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को लैंगिक समानता के लिए जागरूक करना व इस सम्बन्ध में शिकायतों का निवारण करना। (ii) महाविद्यालय में स्थित महिला वाचनालय की सभी सुविधाओं की निरन्तर देखरेख।
26.	भूतपूर्व छात्र समिति	1– संरक्षक –डॉ०राजेन्द्र सिंह 2– प्रभारी– डॉ० सेवक कुमार 3– सदस्य–डॉ० रजनीश कुमार 4– सदस्य–श्री कपिल बैसला 5– सदस्य– श्री कपिल नागर	महाविद्यालय की पुरातन छात्र समिति सम्बन्धी समस्त कार्य एवम पुरातन छात्र/छात्राओं की बैठकों का संचालन।
27.	सोशल आउटरीच प्रोग्राम	1– संयोजक– डॉ० के.पी. सिंह (एन.सी.सी.) 2– सदस्य–डॉ० सेवक कुमार (एन.एस.एस.– I) 3– सदस्य–डॉ० सपना नागर (एन.एस.एस.–II)	विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में महाविद्यालय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
28.	उन्नत भारत अभियान	1– प्रभारी– डॉ० हर्षवर्धन 2– सदस्य–संयोजक– श्री सूर्यप्रकाश 3– सदस्य–श्री कपिल कसाना	उन्नत भारत अभियान सम्बन्धित समस्त कार्य।
29.	आचार संहिता निरीक्षण समिति	1– संरक्षक – डॉ० राजेन्द्र सिंह 2– संयोजक– डॉ० शीला गुप्ता 3– सदस्य– श्री सूर्यप्रकाश 4– सदस्य– श्री राजेश सिंह, कार्यालय अधीक्षक 5– छात्र प्रतिनिधि – प्राचार्य द्वारा नामित दो छात्र प्रतिनिधि	महाविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराना।
30.	मादक पदार्थ मुक्त परिसर समिति	1– समन्वयक – डॉ० हर्षवर्धन 2– संयोजक – डॉ० ऋचा उपाध्याय 3– सदस्य – श्री आशीष कुमार सिंह 4– सदस्य – श्री लोकेश बंसल, कार्यालय 5– सदस्य – श्री सुशील बंसल, वनस्पति विज्ञान विभाग 6– छात्र प्रतिनिधि – प्राचार्य द्वारा नामित तीन छात्र प्रतिनिधि	महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के प्रयोग एवं सेवन का निषेध सुनिश्चित करना।
31.	महाविद्यालय में सफाई, सुरक्षा एवम् परिसर की सुविधाओं व मरम्मत आदि की नियमित देखरेख	1– प्रभारी – श्री राजेश सिंह, कार्यालय अधीक्षक 2– सह प्रभारी – श्री योगेन्द्र सिंह 3– सह प्रभारी – श्री सुशील बंसल 4– सहयोगी – श्री इन्द्रजीत नोट– यह समिति क्र.सं. 18 पर वर्णित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।	महाविद्यालय में सफाई, सुरक्षा एवम् महाविद्यालीय सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना।

नोट :– (i) विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य स्तर पर आवश्यकतानुसार समितियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) उपरोक्त समितियों के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार गठित Cells/Clubs/समितियां यथावत् कार्य करेंगी।

विशेष सूचनायें एवं निर्देश

1. छात्र/छात्राएं प्रवेश समिति से विचार विमर्श के उपरांत ही अपने विषय चयनित कर अपना Online / Offline आवेदन–पत्र जमा करें जिससे भविष्य मे कोई कठिनाई ना हो।
2. चयनित प्रवेशार्थी प्रवेश स्वीकृति के पश्चात शुल्क विवर्णिका व महाविद्यालय की Website पर उपब्लध Payment Gateway या महाविद्यालय के निधारित खाते में जमा करें।
3. प्रारम्भ में सभी प्रवेश अस्थायी होते है एवम् तथ्यों को छुपाने, अयोग्य पाये जाने या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. परिचय पत्र व पुस्तकालय पहचान पत्र पाने के लिये शुल्क रसीद आवश्यक है।
5. परिचय–पत्र पर अग्र मुद्रा में बिना धूप का चश्मा लगा छायाचित्र लगाकर एवं प्रविष्टियॉ पूर्ण कर मुख्य अनुशासक से हस्ताक्षरित करा लें। परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें।
6. चरित्र प्रमाण पत्र केवल उसी संस्थागत छात्र/छात्रा को जारी किया जायेगा जिसने महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह की अवधि पूर्ण कर ली हो। छः माह में केवल एक बार चरित्र प्रमाण पत्र छः माह में केवल एक बार निर्धारित शुल्क जमा करने के तीन दिन बाद दिया जायेगा।
7. प्रवेश सम्बन्धी तिथियों की सूचना एवं चयन सूची, एन0 सी0 सी0, वाद/विवाद,क्रीड़ा, पुस्तकालय, विभागीय, छात्रवृत्ति एवं अन्य सूचनाएँ समय–समय पर महाविद्यालय की website व सूचना पट पर लगा दी जाएंगी। विद्यार्थी महाविद्यालय Website/Notice Boards को निरंतर देखे व अपने Mentors/ शिक्षकों के निरन्तर संपर्क में रहें।
8. विवरणिका में वर्णित Minor व Vocational Courses परिवर्तनीय है। अतः निरंतर Website व सूचना पट्ट देखते रहें। और अपने Mentor के सम्पर्क में रहें।

अभिभावक द्वारा एण्टीरैगिंग सम्बन्धी घोषणा/शपथ–पत्र

मैं .... (पिता/अभिभावक) पुत्र .... निवासी (पूरा पता).................

....

.... जिसके पुत्र/पुत्री .... ने मिहिर भोज (पी0जी0) कॉलेज, दादरी (गौतमबुद्ध नगर) मे कक्षा .... मे प्रवेश लिया है, उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की जोखिम को नियन्त्रित करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली को सावधानीपूर्वक समझ लिया है, और रैगिंग के अन्तर्गत समाहित तथ्यों से भली भाँति परिचित हो गया/गयी हूँ।

मैने नियमावली की धारा–7 और 9.1 को भी विशेष रुप से समझा लिया है तथा रैगिंग करने, सक्रिय या असक्रिय रुप से रैगिंग को प्रोत्साहित करने वाली पूर्ण या आंशिक षड़यंत्र का दोषी पाये जाने पर, दिये गये दंड और की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही से पूर्ण रुप से परिचित हो गया/गयी हूँ।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि–

1. मेरा पुत्र/पुत्री नियमावली की धारा –3 के अन्तर्गत सम्मिलित रैगिंग सम्बन्धी किसी कार्य अथवा व्यवहार मे सम्मिलित नहीं होगा/होगी।
2. मेरा पुत्र/पुत्री नियमावली की धारा–3 में सम्मिलित रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्यों को प्रेरित या प्रसारित करने वाले किसी आचरण या अनाचरण सम्बन्धी कार्य में सहभागी नहीं होगा/होगी।
3. एतद्द्वारा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग का दोषी पाये जाने पर नियमावली की धारा–9.1 के अनुरुप सजा के लिए उत्तरदायी है, और उसके विरुद्ध समय–समय पर लागू अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी दण्ड, अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए तैयार हूँ।
4. एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को प्रेरित करने, फैलाने अथवा इसको प्रोत्साहित करने वाले किसी षड़यंत्र का सहभागी होने का दोषी होने के कारण देश के किसी भी संस्थान में कभी निष्कासित अथवा प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री की घोषणा असत्य पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
   मेरे द्वारा यह घोषणा दिनांक .... को की गयी है।

दिनांक ....

स्थान ....

शपथकर्ता (पिता/अभिभावक) के हस्ताक्षर

नाम

दूरभाष नम्बर ....

-कृपया यहां से फाड़े-

कृपया यहाँ से फाड़ें

सभी प्रवेशार्थियों को प्रवेश से पहले यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा–

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि प्रवेश के बाद मैं प्रतिदिन कॉलेज द्वारा निर्धारित वेशभूषा में ही कॉलेज आऊँगा/आऊँगी। निर्धारित वेशभूषा में न आने पर यदि मुझे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोका जाता है अथवा मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. मैं नियमित रूप से अपना पहचान –पत्र अपने साथ लेकर ही महाविद्यालय में प्रवेश करूंगा/करूंगी।
3. मैं नियमित रुप से कॉलेज आकर कक्षा में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी और न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करुंगा/करुंगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर यदि मुझे परीक्षा में बैठने से रोका जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं किसी बाहरी व्यक्ति को न तो अपने साथ लाऊँगा/लाऊँगी और ना ही किसी को कॉलेज में बुलाऊँगा!/बुलाऊँगी।
5. मैं कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करुंगा/करुंगी।
6. मैं कॉलेज के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करुंगा/करुंगी। ऐसा न करने पर यदि मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

....

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

कक्षा ....

दिनांक ....

पता (मोबा0 नं0 सहित) ....

विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या ....

प्रवेशार्थी छात्र द्वारा एण्टीरैगिंग सम्बन्धी घोषणा/शपथ–पत्र

छात्र/छात्रा का नाम .... पिता का नाम .... कक्षा ....

मैं .... (छात्र/छात्रा का पूरा नाम प्रवेश–पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती .... निवासी (पूरा पता) ....

....

.... जिसने मिहिर भोज पी0जी0 कॉलेज, दादरी (गौतमबुद्ध नगर) में कक्षा .... में प्रवेश लिया है, उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की जोखिम को नियन्त्रित करने वाली .... विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली (जिसे आगे नियमावली कहा जायेगा) को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है, और नियमावली में निहित प्रावधानों को पूर्ण रुप से समझ लिया है। मैने नियमावली की धारा–3 को विशेष रुप से पढ़ व समझ लिया है, और रैगिंग के अन्तर्गत समाहित तथ्यों से भली भाँति परिचित हो गया/गयी हूँ।

मैने नियमावली की धारा–7 और 9.1 को भी विशेष रुप से पढ़कर समझ लिया है तथा रैगिंग करने, सक्रिय या असक्रिय रुप से रैगिंग को प्रोत्साहित करने वाले पूर्ण या आंशिक षड़यंत्र का दोषी पाये जाने पर , दिये गये दंड और की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही से पूर्ण रुप से परिचित हो गया/गयी हूँ।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि–

1. मैं नियमावली की धारा–3 के अन्तर्गत सम्मिलित रैगिंग सम्बन्धी किसी कार्य अथवा व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी।
2. मैं नियमावली की धारा–3 में सम्मिलित रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्यो को प्रेरित या प्रसारित करने वाले किसी आचरण या अनाचरण सम्बन्धी कार्य में सहभागी नहीं होऊँगा/होऊँगी।
3. मैं एतद्द्वारा प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि रैगिंग का दोषी पाये जाने पर नियमावली की धारा–9.1 के अनुरुप सजा के लिए उत्तरदायी हूँ, और अपने विरुद्ध समय– समय पर लागू अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी दण्ड,अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए तैयार हूँ।
4. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि रैगिंग को प्रेरित करने, फैलाने अथवा इसको प्रोत्साहित करने वाले किसी षड़यंत्र का सहभागी होने का दोषी होने के कारण मुझे देश के किसी भी संस्थान में कभी निष्कासित अथवा प्रवेश से वंचित नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि घोषणा असत्य पाये जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मेरे द्वारा यह घोषणा दिनांक .... को की गयी।

दिनांक .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान .... नाम

कृप्या यहां से फाड़े

प्रवेश प्रपत्र सं0................................

मिहिर भोज पी0जी0 कॉलिज, दादरी–ग्रेटर नोएडा

कार्यालय के प्रयोग हेतु

जिला–गौतम बुद्ध नगर

प्रवेश–समिति के प्रयोग हेतु S.No.

पंजी0 रसीद सं. ....

दिनांक ....

प्रवेश रसीद सं0 ....

दिनांक ....

प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र

सत्र : 2022–23

इण्टर/ स्नातक	अति. अंक	योग	कटौती		शुद्ध अंक
			अन्तराल	अन्य	

कक्षा :– .... – भाग / सैमेस्टर

विश्वविद्यालय पंजीकरण सं0/नामांकन सं0 .... योग्यता सूची संख्या एवं क्रमांक....................

नवीनतम फोटो

1. विषय/विषय–संयोगः मुख्य विषय :1. .... 2. ....
   3. ....
2. गौण (माईनर) विषय : 1. .... 2. ....
3. व्यवसायिक (Vocational) विषय (हिन्दी में) : ....
4. अधारभूत विषय (केवल स्नातक तृतीय वर्ष के लिये) ....
5. नाम (हिन्दी में) : ....
   अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : ....
6. माता का नाम : ....
   पिता का नाम : ....
   स्थायी पता : ....
   ....फोन/मोबाईल नं0 ....
   वर्तमान पता : ....
   ....
   फोन/मोबाईल नं0 ....ई–मेल................................
7. संरक्षक का नाम : ....व्यवसाय ....
   पता : ....दूरभाष ....
8. जन्म तिथि : ....उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि ....
9. वर्ग : सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/अन्य ....
10. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण– अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

परीक्षा	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	विद्यालय/कालिज	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
बी.ए./बी.कॉम बी.एस–सी भाग–I भाग–II							
एम.ए./ एम.एस–सी भाग–I							

*** मुख्य, गौण एवं व्यवसायिक विषय महाविद्यालय में सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिए जाएगें।**

(कृ0प0उ0)

कृप्या यहाँ से फाड़े

11. अपेक्षित प्रतिभार (Weightage)

श्रेणी	प्रतिभार प्रतिशत	कुल प्रतिभार

12. क्या आप कभी राष्ट्रीय कैडेट कोर में नामांकित रहे हैं, अवधि सहित उल्लेख करें ....

13. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए है? ....

14. क्या आप अनुशासनहीनता में दण्डित हुए हैं? ....

15. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा दण्डित हैं/कोई वाद लंबित हैं? ....

16. क्या आप विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं? (यदि हाँ तो कक्षा और वर्ष का उल्लेख करें) ....

17. अन्य विशेष उल्लेख ....

संलग्न प्रमाण–पत्र

1. हाईस्कूल अंक तालिका	2. इण्टर अंक तालिका	3. स्नातक अंक तालिका
4. स्नातकोत्तर अंक तालिका	5. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (मूल प्रति)	6. प्रवर्जन प्रमाण–पत्र (मूल प्रति)
7. चरित्र प्रमाण–पत्र	8. अनुसूचित जाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र	9. प्रतिभार प्रमाण–पत्र
10. एन्टी रैगिंग शपथ–पत्र	11.आय प्रमाण–पत्र	12. मूल निवास प्रमाण –पत्र

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाऐं सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य हो तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मैं आचरण एवं व्यवहार में महाविद्यालय के नियम पालन करने का वचन देता/देती हूँ। यदि मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है तो मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर   दिनांक ....   प्रार्थी के हस्ताक्षर

अस्थाई पंजीकरण/प्रवेश किया जाये तथा शुल्क लिया जाये।

प्रवेश समिति

संयोजक ....

सदस्य ....

सदस्य ....

कक्षा ....   रसीद सं. ....   शुल्क की धनराशि   प्रवेश लिपिक के हस्ताक्षर

Botany Lab

Computer Lab Session

Zoology Lab

Plantation Drive by Eco Club

NCC Unit for Social Cause

NCC Cadets Performing Parade

Chemistry Lab Session

Chemistry Lab Session

Awareness Programme by Eco Club

Community Awareness Programme by NSS and NCC Units

Towards Clean and Green Campus

Digital Empowerment under Digi Shakti Scheme

महाविद्यालय शिक्षक

Inauguration of Computer Lab by the Managing Committee

Students busy with Geography Practical

Nurturing the Nature

Plantation Drive by NSS Volunteers and NCC Cadets

Our Management Committee during Flag Hoisting Ceremony

Republic Day Celebration 2022

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति (कार्यकारिणी)

जयप्रकाश नागर
(अध्यक्ष)

सत्यवीर सिंह भाटी
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

जयवीर सिंह
(कनिष्ठ उपाध्यक्ष)

वेदपाल सिंह
(सचिव)

लज्जा राम भाटी
(सह–सचिव)

राजकुमार भाटी
(सदस्य)

विजय पाल नागर
(सदस्य)

वीर सिंह नागर
(सदस्य)

सुदेश भाटी
(सदस्य)

डॉ. रूपेश वर्मा
(सदस्य)

इन्द्र प्रधान
(सदस्य)

तेजपाल सिंह नागर
विधायक (पदेन सदस्य)

प्रो0 संजीव कुमार
(प्राचार्य)

नव निर्वाचित प्रबन्ध समिति

श्री धर्मवीर सिंह
अध्यक्ष

श्री रणवीर सिंह
वरि0 उपाध्यक्ष

श्री ब्रहमपाल सिंह नागर
उपाध्यक्ष

श्री वेदपाल सिंह
सचिव

श्री सुनील कुमार भाटी
सह–सचिव

श्री सुदेश भाटी
सदस्य

श्री इन्द्र प्रधान
सदस्य

श्री विजयपाल नागर
सदस्य

श्री राजकुमार भाटी
सदस्य

श्री रूपेश वर्मा
सदस्य

श्री वीर सिंह नागर
सदस्य

E-mail : mbpgcollegedadri@gmail.com
Website : mihirbhojpgcollege.edu.in

हरित परिसर-स्वच्छ परिसर- प्लास्टिक कचरा मुक्त परिसर